चीनी मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस

507. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने देश में चीनी मिलों की स्थापना हेतु 85 लाइसेंस जारी किए है ;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए लाइसेंसों का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त समाचार के अनुसार, चीनी लाइसेंसों को जारी किया जाना उसके लिए बनाये गये नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा 30-9-94 को नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 74 आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	राज्य	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या
1.	हरियाणा	4
2.	उत्तर प्रदेश	25
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	गुजरात	2
5.	महाराष्ट्र	17
6.	बिहार	1
7.	उड़ीसा	1
8.	आन्ध्र प्रदेश	15
9.	कर्नाटक	5
10.	तमिलनाडु	2
	कुल	74

(ग) और (घ) ये सभी आशय-पत्र भारत सरकार द्वारा दिनांक 8-11-91 के प्रैस नोट सं० 16(1991 श्रृंखला) के माध्यम से घोषित लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी किए गए थे ।

राज्यों को आपूर्ति की गयी चीनी और चावल की मात्रा

508. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 से नवम्बर, 1994 तक राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में चीनी और चावल की आपूर्ति की गई और इसका माह-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुछ राज्यों को पिछले महीनों की तुलना में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के महीने में चीनी और चावल का अधिक कोटा सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों के उपभोक्ताओं की, जिनमें चीनी और अन्य वस्तुओं का कोटा कम मिला है, और वह भी काफी देर से मिला है, प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आबंटन एकरूप मानदण्डों के आधार पर किया जा रहा है, जिससे कि 1-10-96 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ये मानदण्ड 1-2-1987 से प्रभावी हैं। तथापि, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक पैमाने पर लेवी चीनी के आबंटन की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को त्यौहार कोटे